

12142

S.R.-I

139



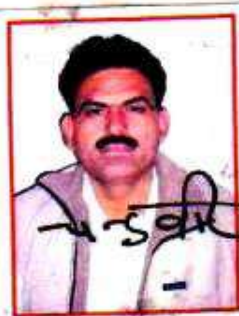
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

554071

NTK

97 21/10/07 7 OCT 2007

मुजफ्फरनगर



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार :-	कृषि भूमि
वार्ड/परगना :-	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला/ग्राम :-	शरनगर
सम्पत्ति का विवरण :-	खसरा नम्बर 58
मापन की इकाई :-	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल :-	0.7480 हैक्टेयर का 1/2 भाग
सड़क की स्थिति :-	बाईपास
सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि
पेडों का मूल्यांकन:-	नहीं है
बोरिंग/कुआ/अन्य:-	नहीं है

S. S. S.

Mohan

Vinit Bhusal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
(03) कोषागार

554073

-2-

27 OCT 2007

AR मुजफ्फरनगर

सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:- नहीं है
प्रतिफल की धनराशि:- 10,48,000/-रूपये
मालियत:- 10,47,200/-रूपये
निर्धारित दर:- 16,00,000/-रूपये प्रति हे० का
75 प्रतिशत अधिक
स्टाम्प शुल्क:- 1,05,000/-रूपये
किस्म जमीन:- अव्वल आबी
विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।
विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।
प्रथम पक्ष की संख्या (2)
विक्रेता का विवरण
1-चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह निवासी ग्राम दिढावली परगना
बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- खेती
2-मोहन पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम तितावी परगना बघरा
तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- खेती

चन्द्रवीर

Mohan

Kunt Bared

बहु- (3) 90000 -
 दिनांक 27/10/07
 कोटागिर, मुजफ्फरनगर

1,048,000.00/ 1,048,000.00

5,000.00 20 5,020.00 800
 फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत
 श्री / श्रीमती चन्द्रवीर सिंह
 पुत्र / पत्नी श्री जसवीर सिंह
 पेशा कृषि
 निवासी स्थायी ढिंढावली मु0नगर
 अस्थायी पता



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/11/2007 समय 5:08PM
 बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

चन्द्रवीर

अशोक कटारिया
 उपनिबन्धक(प्रथम)
 मुजफ्फरनगर
 26/11/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती चन्द्रवीर सिंह
 पुत्र/पत्नी श्री जसवीर सिंह
 पेशा कृषि
 निवासी ढिंढावली मु0नगर



श्री/श्रीमती मैसर्स सीताराम बिल्डर्स 39 सुधराशाही
 द्वारापार्टनर विनीतबंसल
 पुत्र/पत्नी श्री परमेश्वर दयाल बंसल
 पेशा व्यापार
 निवासी 39 सुधराशाही मु0नगर



श्री/श्रीमती मोहन
 पुत्र/पत्नी श्री धर्मवीर सिंह
 पेशा कृषि
 निवासी तितावी मु0नगर



चन्द्रवीर

mohan

Vinit Bansal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

554072

-3-

12 7 OCT 2007

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)
क्रेता का विवरण

1- मैसर्स सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल बंसल निवासी 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- व्यापार PAN- ABIFS 7034 H

हम कि चन्द्रवीर सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम ढिढावली परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व मोहन पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम तितावी परगना बघरा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) व मैसर्स सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल बंसल निवासी 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) है। जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित का मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है जो कि खसरा नम्बर 58 में प्रथम पक्ष ने 1/2 भाग नम्बर मजकूर के जानिब

[Signature]

Mohan

Vinit Bansal

क्र. ३ - १००० -
दिनांक - २७/१०/०७

कार्यालय, मुजफ्फरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री विनोद शर्मा

पुत्र श्री

पेशा वकालत

निवासी तहसील सदर मु०नगर

व श्री अजय मित्तल

पुत्र श्री शशीकान्त मित्तल

पेशा व्यापार

निवासी 330 रामलीला टिल्ला मु०नगर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।



अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
26/11/2007

मिटर

अ. ५५





(03) कोषागार

25 OCT 2007

मुजफ्फरनगर

03BB 801835

-4-

दक्षिण खरीद किया था और मौके पर भी वही काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई پاک व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन दस लाख अड़तालीस हजार रुपये (10,48,000/- रुपये) आधे जिसके अंकन पांच लाख चौबीस हजार रुपये (5,24,000/- रुपये) होते हैं बदस्त मैसर्स सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल बंसल निवासी 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा दो किते चैक नम्बरी 342252 व 342253 दिनांकित 25-10-2007 ई०

[Signature]

Mohar

Vinit Bansal

90000 -

③

पञ्जाब

हिन्दी

27/10/07

काबाना, मुजफ्फरगढ़

विक्रेता

Registration No.: 12142

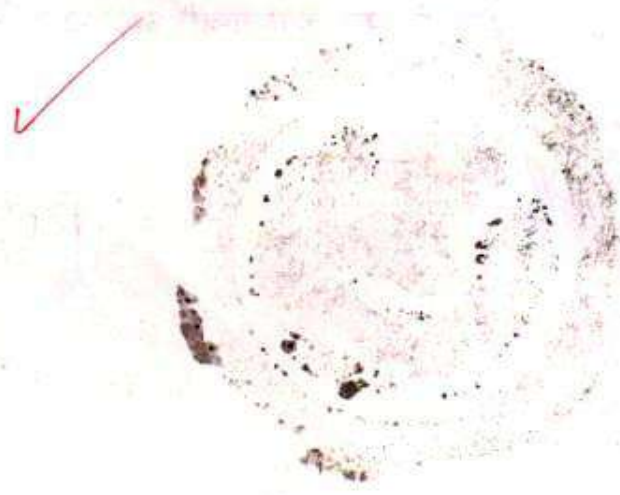
Year: 2007

Book No.: 1

0101 चन्द्रवीर सिंह
जसवीर सिंह
डिडावली मु०नगर
कृषि



0102 मोहन
धर्मवीर सिंह
तितावी मु०नगर
कृषि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 619106

-5-

AP 9 NOV 2002

विजया बैंक मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिये है। इस प्रकार अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहोम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हें अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि बाईपास पर स्थित है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि में कोई पेड ट्यूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 14,800/-रुपये होती है।

मोहन

Mohan

Kumit Ansal

1 - टाप्प विप्रेत की तिथि 26-11-07

स्टाप्प करन का पोशन .. ~~बिना~~

स्टाप्प क्रेता का नाम व पूरा पता सीताराम बिल्डर्स

39 सुथराशाही मु0नगर

स्टाप्प की धनराशि 50000

द्वारा विनीत बंसल

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाप्प विक्रेता)

तहसील महर, मुजफ्फरनगर

माइसेम सं 8

बार्डिंग की तारीख 31-3-2011

50000 x 3 = 150000

क्रेता

Registration No. : 12142

Year : 2007

Book No. : 1

0201 मैसर्स सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही द्वारा पार्टनर विनीत बंसल

परमेश्वर दयाल बंसल

39 सुथराशाही मु0नगर

व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 619107

-6-

विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 10,47,200/- रुपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 10,48,000/-रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबई 0.7480 है, लगान सालाना 37-00रुपये किस्म जमीन जंगल अब्बल

—सुनी—

Mohar

Unit narsal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 619108

-7-

आबी का कुल हक व हिस्सा यानि 1/2 भाग, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

चंडोर

Mohan

Winit Bansal

साक्षी

साक्षी देवकुमार वर्मा

C/O. मलचन्द्र वर्मा

जौ रेश्मि हाट मुजफ्फरनगर

तहरीर ता0:-26-11-2007 ई0

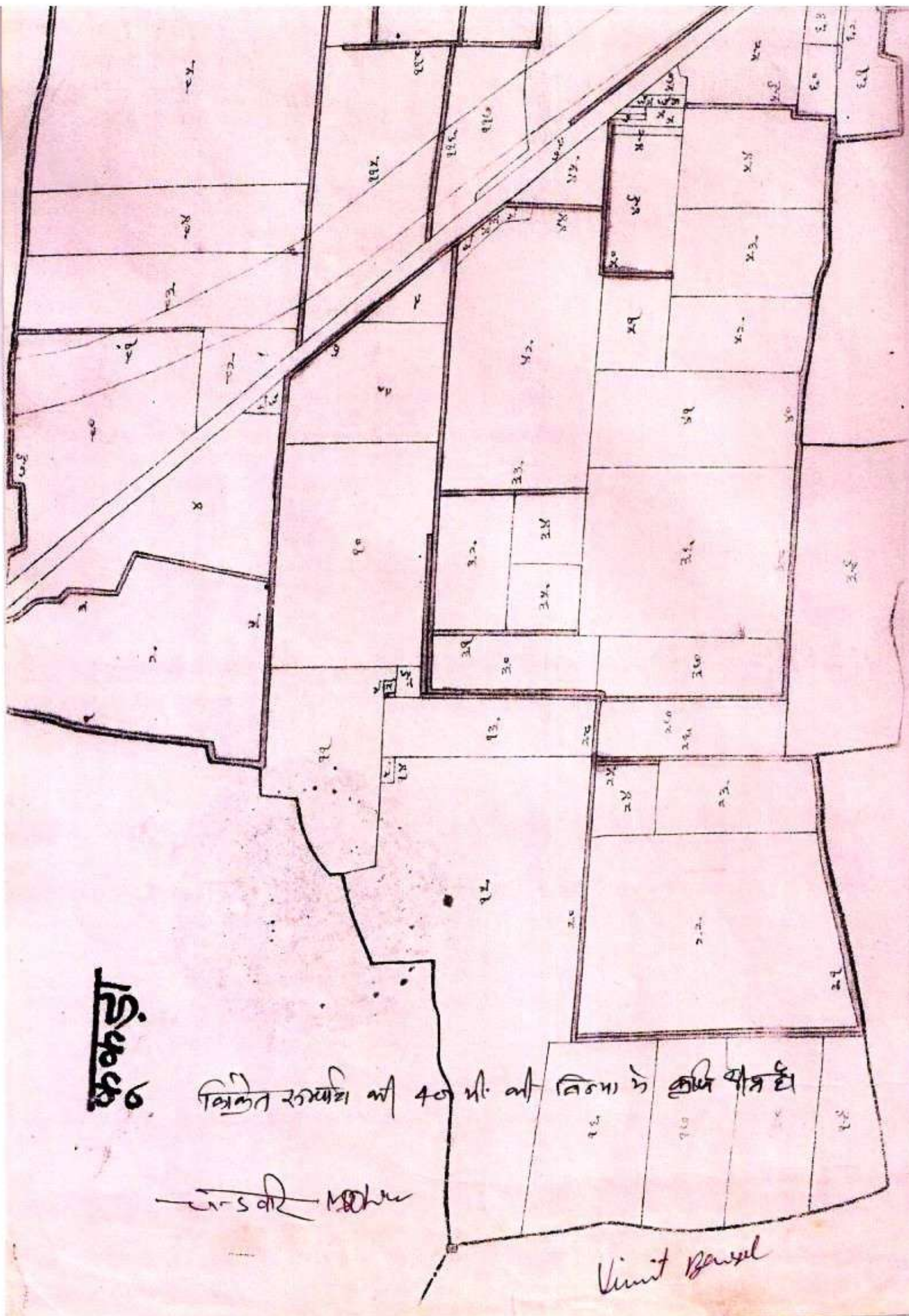
ड्राफ्ट कर्ता:-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

ककडा

विशेषतः सम्पत्ति की 40 मी. की विस्मा में कृषि की जाती है

— निम्न की मोहवा

Vinit Bansal



पक्षकार का नाम

चन्द्रवीर सिंह

	अगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम

मोहन

	अगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम

विनीता बमरु

	अगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम

	अगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

156

अंश प्रमाण

मात्रिक प्रमाण

संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
					संख्या
					संख्या
					संख्या
					संख्या

अंश प्रमाण

मात्रिक प्रमाण

संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
आज दिनांक <u>26/11/2007</u> को वही सं. <u>1</u> जिल्द सं. <u>3863</u> पृष्ठ सं. <u>139</u> से <u>156</u> पर क्रमांक <u>12142</u> रजिस्ट्रीकृत किया गया ।					संख्या
					संख्या
					संख्या
					संख्या

अशोक कटारिया

अंश प्रमाण

मात्रिक प्रमाण

संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
			26/11/2007		संख्या
					संख्या
					संख्या
					संख्या



मात्रिक प्रमाण

संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
					संख्या
					संख्या
					संख्या
					संख्या



BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : शेरनगर	परगना : (सदर)	तहसील : सदर	जनपद : मुजफ्फर नगर	फसली वर्ष : 1425-1430	भाग : 1	खाता संख्या : 00930
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान				खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।						
हरेन्द्र सिंह / भरपुर सिंह / सिलाजूड़ी सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही / . / . द्वारा पार्टनर / . / . विनीत बंसलपुत्र परमेश्वर / . / . दयाल बंसल नि. 39 सुथराशाही / . / . मु०नगर / . / . परमजीत कौर / स्व. सुरेन्द्र सिंह / नि. सिलाजूड़ी रणजीत सिंह / सुरेन्द्र सिंह / नि. सिलाजूड़ी गुरजीत कौर / पुत्री सुरेन्द्र सिंह / नि. सिलाजूड़ी				58	0.7480	1426फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 428/T201809550105558 दिनांक 08-12-2018 को आदेश हुआ कि खाता सं० 930 के खसरा नं० 58/0.7480 हे० लगान 37.00 रु० के भागांश से अर्थात कुल विक्रीत भूमि का क्षेत्र 0.0363 हे० से विक्रेता हरेन्द्र सिंह पुत्र भरपुर सिंह नि० ग्राम सिलाजूड़ी हाल नि० म०न० 4 गांव झुंदा डा० अमरगढ तहसील मलेर कोटला जिला संगरूर (पंजाब) का नाम खारिज करके केता शिवम पुत्र विरेन्द्र कुमार नि० 464/119 दक्षिणी सिविल लाईन शहर मु०नगर का नाम द्वारा पंजी० विक्रय पत्र सं० 9657 दि० 26-10-18 अंकन 18,00,000 रु० के आधार पर सं०भू० दर्ज हो। केता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेंगे। (4/26/148)ह०र०का० 08-12-18 1426फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 429/T201809550105557 दिनांक 08-12-2018 को आदेश हुआ कि खाता सं० 930 के खसरा नं० 58/0.7480 हे० लगान 37.00 रु० के भागांश से अर्थात कुल विक्रीत भूमि का क्षेत्र 0.0363 हे० से विक्रेता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी स्व० सुरेन्द्र सिंह व गुरजीत कौर पुत्री स्व० सुरेन्द्र सिंह नि० गण ग्राम सिलाजूड़ी हाल नि० म०न० 4 गांव झुंदा डा० अमरगढ तहसील मलेर कोटला जिला संगरूर (पंजाब) का नाम खारिज करके केता श्रीमती संगीता पत्नी विरेन्द्र कुमार नि० 464/119 दक्षिणी सिविल लाईन शहर मु०नगर का नाम द्वारा पंजी० विक्रय पत्र सं० 9658 दि० 26-10-18 अंकन 18,00,000 रु० के आधार पर सं०भू० दर्ज हो। केता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेंगे। (4/27/149)ह०र०का० 08-12-18 1428फ० आदेशानुसार तहसीलदार सदर मु०नगर द्वारा वाद सं० 1099/T202109550101435/15-02-2021 को आदेश हुआ कि ग्राम शेरनगर परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं० 930 के खसरा नं० 58/0.7480 हे० लगान-37.00 रु० के भागांश से अर्थात कुल विक्रीत क्षेत्रफल-0.0398 हे० से विक्रेतागण हरेन्द्र सिंह पुत्र भरपुर सिंह व रणजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम सिलाजूड़ी परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासीगण ग्राम झुण्डा तहसील मलेर कोटला जिला संगरूर पंजाब का नाम खारिज करके केतागण कर्मवीर सिंह पुत्र यशपाल सिंह निवासी 912/4 सिविल लाईन दक्षिणी शहर मुजफ्फरनगर व सुधीर कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी 323 फेस-1 सुरेन्द्रनगर जानसठ रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं० 9845 दिनांक 10.11.2020 अंकन 19,80,000/-रु० के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। केता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेंगे। (30/103) ह०र०का० 24-02-2021
योग				1	0.7480	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

न्यायालय उप जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर 482

दिनांक 1-5-10

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

वाद सं०- 61 / 09-10

मौजा-शेरनगर

श्री सीताराम बिल्डर्स

बनाम

अन्तर्गत धारा-143 ज०वि०अधि०

परगना- मुजफ्फरनगर

सरकार

आदेश

श्री सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी सुथराशाही मुजफ्फरनगर ने अपनी भूमि स्थित ग्राम शेरनगर तहसील व जिला मु०नगर खसरा नम्बर-34/0-3380 है० व 52/0-6410 है० व 53/0-7520 है० व 54म/0-9250 है० का 1/3 भाग व 58/0-7480 है० का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2-6003 है० पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक उद्घोषित किये जाने हेतु अभ्यर्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की जाँच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 20-3-2010 एवं उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की अनापत्ति दिनांक 17-4-2010 प्राप्त हुई। तहसीलदार आख्या के अवलोकन से विदित है कि ग्राम शेरनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर-34/0-3380 है० व 52/0-6410 है० व 53/0-7520 है० व 54म/0-9250 है० का 1/3 भाग व 58/0-7480 है० का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2-6003 है० पर अभिलेखों में प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य बन्द कर दिया गया है, तथा उसके पर प्लाट्स की निशानदेही व नीव भरने का कार्य शुरू कर दिया है। उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य की संभावना नहीं है। उक्त भूमि को धारा 143 ज०वि०अधि० के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार के द्वारा अपनी आख्या के साथ हाल खतौनी, जोत चक्र आकार पत्र 41 व 45 की सत्य प्रतिलिपि तथा नियम 135 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र दिनांक 17-4-2010 में उल्लिखित किया है कि उक्त खसरा नम्बरो का भू-उपयोग मुजफ्फरनगर महायोजना-2021 में आवासीय है एवं आंशिक भू-भाग पर 45 मीटर चौड़ा महायोजना मार्ग प्रस्तावित है। कान्स्टीट्यूट कम्पनी के हित में अकृषिक घोषित किये जाने में प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली एवं उपलब्ध भूअभिलेखों का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और उक्त भूमि पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य भालन, कुक्कुट पालन, वागवानी आदि कार्य में प्रयोग नहीं हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जोत चक्रबन्दी आकार पत्र 41 व 45 एवं तहसील आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। विकास प्राधिकरण को भी इस भूमि के अकृषिक घोषित होने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 20-3-2010 एवं विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की अनापत्ति दिनांक 17-4-2010 के आधार पर ग्राम शेरनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर-34/0-3380 है० व 52/0-6410 है० व 53/0-7520 है० व 54म/0-9250 है० का 1/3 भाग व 58/0-7480 है० का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2-6003 है० को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हों। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी।

81-05-2010

2-नकल कर

3-तुलना

4-नकल

5-नकल

6-नकल

7-उत्तर

कानूनी

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

